भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1232
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत लाभार्थी

1232. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:
डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के तहत केंद्र सरकार के लाभार्थियों की कुल संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत प्राप्त राशि को बढ़ाने का इरादा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2019 से हटाए गए आईजीएनडब्ल्यूपीएस लाभार्थियों की संख्या और हटाने के प्रमुख कारणों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2020 से आधार के साथ जुड़े न होने के परिणामस्वरूप बैंक खातों को रद्द करने या जब्त करने के कारण हटाए गए ईजीएनडब्ल्यूपीएस लाभार्थियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) आधार-संबंधित मुद्दों के कारण आईजीएनडब्ल्यूपीएस लाभार्थियों के नामांकन रद्द होने की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वर्ष 2019 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार लाभार्थियों की कुल संख्या अनुबंध-I में दी गई है

(ख): 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और सहायता दर में संशोधन पर विचार किया गया। हालांकि , उपलब्ध वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की कवरेज /दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से डाटा -बेस से हटा दिया जाता है , जैसे लाभार्थी की मृत्यु, डुप्लिकेट रिकॉर्ड, प्रवास, पात्रता मानदंडों को पूरा न करना आदि। एनएसएपी-पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) के अनुसार , वर्ष 2019 से हटाए गए आईजीएनडब्ल्यूपीएस लाभार्थियों का राज्य -वार और वर्ष -वार विवरण अनुबंध -I। में दिया गया है।

(घ) और (ङ): एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लाभार्थियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक योजना विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें सक्रिय आउटरीच के माध्यम से आधार नंबर जोड़ने में सक्षम बनाया जा सके। इसके बाद बैंक/डाकघर खातों में आधार संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का काम है कि किसी भी लाभार्थी को उसके अधिकारों से इस कारण से वंचित न किया जाए कि उसके पास कोई बैंक/डाकघर खाता और/या आधार नंबर नहीं है।

*****

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध-I

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	245607	245607	245607	245607	246832	246832
2	बिहार	547777	547777	634695	634695	635091	634221
3	छत्तीसगढ़	176601	183076	192701	198493	203628	203628
4	गोवा	315	315	4915	5868	5886	5886
5	गुजरात	97473	218395	218395	231632	276078	276078
6	हरियाणा	57149	57149	57149	57149	70808	70808
7	हिमाचल प्रदेश	17979	17979	17979	21974	21974	21974
8	जम्मू एवं कश्मीर	7487	7278	7278	7619	7570	6445
9	झारखंड	270447	271579	268589	267477	262435	254520
10	कर्नाटक	460074	460084	452027	452027	452027	380886
11	केरल	209236	209236	209236	209236	320715	320715
12	मध्य प्रदेश	536412	536412	536412	536412	546920	546920
13	महाराष्ट्र	60548	64956	70671	74933	80725	80725
14	ओडिशा	526209	525706	508015	528570	521271	521410
15	पंजाब	16294	15311	18462	19294	19294	18971
16	राजस्थान	160008	180341	278712	305053	315048	315048
17	तमिलनाडु	519690	519690	549084	565139	574258	506716
18	तेलंगाना	175530	175530	175530	175530	180720	180720
19	उत्तर प्रदेश	991784	991784	991784	1025236	1025236	1025236
20	उत्तराखंड	20690	20690	25906	23898	23898	23898
21	पश्चिम बंगाल	644590	644590	644590	733189	726172	726172
22	अरुणाचल प्रदेश	245607	3565	288	288	288	288
23	असम	286	114888	112222	113745	114903	115007

24	मणिपुर	114141	5623	5655	6065	7075	7075
25	मेघालय	5380	8498	8424	8024	8022	8024
26	मिजोरम	7223	1925	1925	2278	2278	2278
27	नागालैंड	1925	3720	3720	3720	3827	3827
28	सिक्किम	3720	1463	1469	1469	1469	1469
29	त्रिपुरा	1463	12989	13336	16013	17537	17231
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	3	3	3	3	3
31	चंडीगढ़	942	942	942	2486	2486	2486
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1858	1858	1858	1858	2109	2109
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	30712	30712	32797	32158	36361	36361
34	लद्दाख		443	209	443	7570	443
35	लक्षद्वीप	92	89	89	87	80	75
36	पुदुचेरी	9785	8514	9785	9785	9821	9821
	कुल	**6165037**	**6088717**	**6300459**	**6517453**	**6730415**	**6574306**

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत हटाए गए लाभार्थियों का राज्यवार और वर्षवार विवरण

राज्य	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
असम	4668	3140	8527	4657	24481	14036
छत्तीसगढ़	9521	6171	3088	3180	5924	8385
दिल्ली	-	-	-	1473	716	447
गुजरात	19289	5505	9090	8262	39936	40691
जम्मू और कश्मीर	-	-	14	22	4044	9845
झारखंड	9730	12779	3377	8963	135441	23544
महाराष्ट्र	-	-	-	15043	34677	2642
मणिपुर	-	-	-	4	73	350
मेघालय	1069	292	173	209	457	61
मिजोरम	-	-	-	-	57	-
ओडिशा	35976	49909	34340	10325	7980	5543
त्रिपुरा	-	-	-	12297	5823	39009
पश्चिम बंगाल	4703	2214	2919	43022	43626	55254

स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस (वर्तमान में 19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर शामिल हैं)